NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 138/NCRES/19 Date :27.05.2019

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषयः– आगरा मंडल में कार्यरत मुख्य लोको निरीक्षक के वेतन विसंगति को दूर करने के लिये स्टेपिंगअप के लाभ के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– NCRES का पत्र संख्या 105/NCRES/19 दिनांक 07.04.2019

महोदय,

NCRES ने अपने पत्र दिनांक 07.04.2019 द्वारा अवगत कराया कि RBE No. 236/2009 व RBE No. 90/2016 का अनुपालन करते हुये इलाहाबाद और झांसी मण्डल ने स्टेपिंगअप का लाभ देकर CLI के वेतन विसंगति को दूर किया लेकिन आगरा मंडल ने स्टेपिंगअप का लाभ नही दिया जिसके कारण कर्मचारियों को लगातार नुकसान हो रहा है, इसी कारण NCRES ने अपने पत्र दिनांक 07.04.2019 द्वारा अनुरोध किया था कि CLI के वेतन विसंगति को दूर करने के लिये आगरा मण्डल को उचित निर्देश दिया जाय लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नही हो पायी है।

यह भी स्पष्ट करना है कि RBE No. 236/2009 दिनांक 24.07.2009 एवं RBE No. 90/2016 दिनांक 28.07.2016 के पैरा 10 में विस्तृत विवरण देकर स्पष्ट भी किया गया है कि दिनांक 01.01.2016 के पूर्व किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत वरिष्ठ रेल सेवक को दिनांक 01.01.2016 के बाद प्रोन्नत किये गये कनिष्ठ कर्मचारियों से कम वेतन मिलता है तो वरिष्ठ रेल सेवक का वेतन कनिष्ठ को मिल रहे वेतन के बराबर कर दिया जायेगा।

खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि NCRES के द्वारा इस सम्बन्ध में पत्राचार किये हुये लगभग 1½ माह हो चुके है किन्तु न तो अभी तक कर्मचारियों को लाभान्वित ही किया गया एवं न ही कोई उत्तर ही "संघ" को दिया गया।

अतः "संघ" का अनुरोध है कि कर्मचारियों को लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान से बचाने के लिये त्वरित कार्यवाही करने का कष्ट करें व कृत कार्यवाही से संघ को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री